संख्या-01/2024/11/तीस-4-2024

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2024

विषयः- राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने अवैध कटों को बन्द किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष (2022-23) की दिनांक 20.11.2023 को साक्ष्य बैठक सम्पन्न हुई। उक्त साक्ष्य बैठक में प्रदेश के विद्यालयीय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विद्यालयीय वाहनों के संचालन हेतु उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से अधिसूचना सं0-11/2022/526/30-4-2022-17(सा0)-2018, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा गजट में प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश मोटरयान (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2022'' के संबंध में मा0 समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के क्रम में मा0 समिति द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से निर्मित कटों के कारण घटित होने वाली अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिन्ता प्रकट करते हुये उन्हें तत्काल बन्द कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से निर्मित किये गये कटों को तत्काल बन्द कराने हेतु संबंधित को प्रभावी आदेश देने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से निर्मित कटों के संबंध में अपने स्तर से अनुश्रवण/समीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुनः अवैध कट का निर्माण न हो सके।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2024/11/तीस-4-2024, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समिति (सामान्य) अनुभाग-4, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष (2022-23) के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से,

वी0 के0 सोनकिया
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।